

प्रेस नोट

दिनांक 01.10.2018

आबकारी विभाग की कार्यवाही

- दिनांक 01.08.2018 से 26.09.2018 तक 14,259 प्रकरण दर्ज किए गए, 69,976 बल्क लीटर अवैध मदिरा, 6,38,599 किलो ग्राम लाहन जप्त किया गया। जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य रू.3.64 करोड़ है।
- दिनांक 01.08.2018 से 26.09.2018 तक अवैध मदिरा जप्ति के कुल 14259 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें सबसे अधिक 1690 प्रकरण खरगौन, 1265 प्रकरण इंदौर एवं 1005 प्रकरण छिंदवाड़ा जिलों में दर्ज किए गए।
- सबसे अधिक 7298 बल्क लीटर मदिरा धार जिलों में, 6964 बल्क लीटर इंदौर जिले में एवं 3175 बल्क लीटर मदिरा कटनी जिलों में जप्त की गई है।
- सबसे कम 62 बल्क लीटर मदिरा भिण्ड जिले में, 98 बल्क लीटर मदिरा अनूपपुर जिलों में तथा 102 बल्क लीटर मदिरा पन्ना जिले में जप्त की गई है। समस्त जिलों को प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
- मूल्य के मान से छिंदवाड़ा में 3039 बल्क लीटर मदिरा अनुमानित मूल्य रू. 47.13 लाख, इंदौर में 6964 बल्क लीटर मदिरा अनुमानित मूल्य रू. 43 लाख, खरगौन जिलों में 2891 बल्क लीटर मदिरा अनुमानित मूल्य रू. 40.35 लाख की जप्त की गई है।
- दिनांक 20.09.2018 से 26.09.2018 तक 06 वाहन जप्त किए गए। जिनका अनुमानित मूल्य रू. 7.75 लाख है।

परिवहन विभाग की कार्यवाही

- दिनांक 17.08.2018 से 28.09.2018 तक 20,383 वाहनों पर कार्यवाही कर रू. 2 करोड़ 8 लाख का जुर्माना किया गया।
- सबसे अधिक 2219 प्रकरण बालाघाट जिले में, 1829 प्रकरण रीवा जिले में, 1555 प्रकरण सतना जिले में दर्ज किए गए।
 - अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन, बैनर, आदि के प्रकरण— 1350 रीवा में (रू.8.20 लाख जुर्माना), 888 मुरैना में (रू.4.44 लाख जुर्माना) एवं 538 इंदौर में (रू.3.05 लाख जुर्माना) दर्ज किए गए।

पुलिस विभाग द्वारा 01.06.2018 से 28.09.2018 की गई कार्यवाही:—

- गैर जमानती वॉरेंट तामीली – 1,13,572
- अवैध शराब जप्त – 3,06,173 बल्क लीटर
- अवैध हथियारों के लिए छापे – 4,873 छापे
- अवैध हथियार जप्त – 27,439 जप्त
- शस्त्र सत्यापन – 1,03,626 शस्त्र
- वाहन चैकिंग में जुर्माना – रू. 15.86 करोड़
- प्रतिबंधात्मक कार्यवाही – 98,938 बाण्ड एक्यूक्यूटेड किए गए
- गैर जमानती वारंटों की तामीली सबसे अधिक ग्वालियर जिले में – 7,954, भोपाल में – 6,610 एवं मुरैना में – 6,033 हुई है।
- पुलिस द्वारा सबसे अधिक अवैध शराब सागर जिले में 35,493 बल्क लीटर, मुरैना में 27,330 बल्क लीटर तथा दमोह जिले में 20,314 बल्क लीटर जप्त की है। सबसे कम अवैध शराब हरदा में 940 बल्क लीटर, उमरिया में 1057 बल्क लीटर तथा डिण्डौरी में 1297 बल्क लीटर अवैध शराब जप्त हुई।
- अवैध शस्त्र जप्ती – सबसे अधिक 5,960 अवैध शस्त्र ग्वालियर में (181 छापे), 5,880 भिण्ड में (118 छापे) एवं 4,500 राजगढ़ जिले में (85 छापे) जप्त किए गए हैं।